संख्या-614/V-2016-23(आ0)/2016

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

आवास अनुभाग-1 देहरादूनः दिनांक 09 दिसम्बर, 2016

विषयः-उत्तराखण्ड जनआवास योजना हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 507/उडा-89/2015 दिनांक 02.12.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद उधमसिंहनगर के रम्पुरा स्थित 5445.27वर्ग0मी0 एवं रूद्रपुर किच्छा स्थित 79869वर्ग0मी0 नजूल भूमि उत्तराखण्ड जन आवास योजना हेतु उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (उडा), देहरादून को निःशुल्क आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उपर्युक्त विषयक आवास अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 1771/V/आ0-2016-75(आ0)2016 के द्वारा राज्य में दुर्बल एवं निम्न आय वर्ग के समस्त आवास विहीन परिवारों को किफायती एवं सुरक्षित आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु उत्तराखण्ड आवास एवं नगरीय विकास प्राधिकरण (उडा) को नोडल विभाग नामित किया गया है। उक्त योजना के कियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा उडा को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उपरोक्त प्रस्तर-2 में उल्लेखित शासनादेश के उद्देश्यों के कियान्वयन हेतु जनपद उधमसिंहनगर के रूद्रपुर के क्षेत्रान्तर्गत किच्छा बाईपास रोड स्थित एफ0सी0आई0 गोदाम के सामने स्थिति नजूल भूमि राजस्व ग्राम रूद्रपुर के खसरा नं. 19,20,21, 22,23,24,25,26,27,28,29मि0,31मि0,32मि0,33मि0,49मि0,50मि0,51मि0,52मि0,53मि0,58,59,60 मि0 में 79869.00 वर्ग0मी0 तथा नैनीताल रोड, निकट नगर निगम रूद्रपुर, एन0एच0-87 पर स्थित सिब्बल सिनेमा के सामने रिक्त पड़ी नजूल भूमि राजस्व ग्राम रम्पुरा के खसरा नं0 142मि0 में 5045.27वर्ग0मी0 भूमि को उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (उडा) को निम्न शर्तें के अधीन हस्तानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) उत्तराखण्ड जन आवास योजना हेतु उपरोक्त प्रस्तर-3 में अंकित भूमि में से दुर्बल एवं निम्न आय वर्ग के आवास विहीन परिवारों के लिए भवन निर्माण हेतु उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (उडा) को निःशुल्क भूमि आवंटित की जाती है।

-2-

C:\Users\sad\Desktop\Aawas 2016\letter Awas 2016.docx

406
9.12.16

तहसीलदार

(2) उपरोक्त प्रस्तर–3 में अंकित भूमि में से दुर्बल एवं निम्न आय वर्ग के आवास विहीन परिवारों के लिए भवन निर्माण से अतिरिक्त भूमि अन्य प्रयोजनों हेतु उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (उडा) को स्थानीय प्राधिकरण (स्थानीय निकाय) मानते हुए वर्तमान में प्रचलित नजूल नीति 2009 के प्रस्तर–4(ग) के प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन नजूल भूमि उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (उडा) के पक्ष में निर्धारित 5 प्रतिशत की दर पर फ्रीहोल्ड कराये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त भूमि को फ्रीहोल्ड करने से पूर्व उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (उडा) नजूल मैनुअल एवं नजूल नीति 2009के प्राविधानों के आलोक में नियमानुसार कार्यवाही कर लें।

4– प्रस्तर–3 में उल्लिखित नजूल भूमि के सम्बन्ध में नजूल मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (उडा) को स्थानीय निकाय घोषित करते हुए उक्त भूमि पर प्रबन्धन एवं नियंत्रण उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (उडा) द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या एवं तिथि तदैव।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मण्डलायुक्त, नैनीताल।
2. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर को उनके पत्र संख्या 4117/एस0टी0नजूल/2016 दिनांक 30.11.2016 के कम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंहनगर।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।

C:\Users\sd\Desktop\Aawas 2016\letter Awas 2016.docx